राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, उत्तराखंड

मधुमक्खी पालन

संचालनः

जिला सहकारी विकास संघ, देहरादून, उत्तराखंड

तकनीकी सहयोगः

स्पर्धा, पोखरखाली अल्मोड़ा एवं तेजस अपेरी, हरियाणा

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना UKCDP

सहकारिता विभाग अपने जमीनी स्तर के हस्तक्षेपों के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सहकारिता विभाग राज्य के प्रयासों को संरेखित और उपयोग में लाने की परिकल्पना करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारिता विभाग अपनी त्रिस्तरीय संरचनाओं और विशिष्ट सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में एक बलगुणक व उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करने हेतु सहकारी समितियों को मजबूत करने की परिकल्पना करता है। परियोजना में सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समग्र विकास लाने की ठोस योजना बनाई गई है।

मधुमक्खीपालन का औचित्य

उत्तराखंड राज्य का अधिकांश क्षेत्र जंगल और बंजर भूमि के अधीन आता है। वर्तमान में कृषि कार्यो हेत केवल 12 प्रतिशत भूमि ही उपलब्ध है। इसमें से 85 प्रतिशत से अधिक सकल खेती योग्य क्षेत्र का उपयोग खाद्यान्न उत्पादन हेतु किया जाता है। इस उत्पादन का ज्यादातर हिस्सा किसानों द्वारा स्वयं अपने उपभोग हेतु किया जाता है। किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें जब किसी भी कारण से अपेक्षित उपज देने में विफल रहती हैं तो इससे किसानों की आर्थिकी काफी हद तक प्रभावित होती है। इसलिए किसानों की आय और उत्पादों के अलग-अलग स्त्रोत सुनिश्चित करने के लिए उनके आजीविका स्त्रोतों का विविधीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की जलवायु विविधतापूर्ण है। कृषि के शुरूआती दौर से ही मधुमक्खी पालन का पहाड़ों में प्रचलन है। यह किसानों के लिए तब से ही एक अतिरिक्त आजीविका का स्त्रोत रहा है। लेकिन उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल और कुमांऊ क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन व्यवसाय की असीम संभावनाओं को देखते हुए सहकारिता विभाग, उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर किये जाने वाले हस्तक्षेपों में कई मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से किसानों की आय वृद्धि हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों में मौन पालन भी एक मूल्य श्रृंखला है जिसके अन्तर्गत पहाड़ों की मधुमक्खी पालन की इस पुरानी पंरपरा को व्यावसायि कगतिविधि में बदलने हेतु परियोजना प्रयासरत है।

प्रस्तावित मौन पालन परियोजना में चरणबद्ध तरीके से उत्तराखंड के चिन्हित जिलों में कम से कम 1000 किसानों हेतु इस गतिविधि के अन्तर्गत आजीविका सृजन के अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर, मधुमक्खी पालन के बक्से व अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा कर, मधुमक्खी के बक्सों के परिवहन में सहायता देकर, न्यूनतम निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक परीक्षण, संग्रहण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग सुनिश्चित करके उत्तम गुणवत्तायुक्त शहद का उत्पादन किया जा सकता है। इसके उपरांत उत्पादित शहद का संगठित व सुनियोजित तरीके से वितरण एवं विपणन किया जा सकता है।

उद्देश्य

- उत्तराखंड के चिन्हित जिलों में शहद की एक मूल्य श्रृंखला का विकास और संचालन करना।
- मधुमक्खी पालन मूल्य श्रृंखला के माध्यम से एक टिकाऊ और सहभागी आजीविका मॉडल विकसित कर उसको बढ़ावा देना।
- स्वरोजगार के अवसर और स्थायी आय का एक स्त्रोत पैदा करना।
- पारंपरिक मधुमक्खी पालन को एक व्यावसायिक गतिविधि में बदलना।
- मौन पालन मूल्य श्रृंखला के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन गतिविधियों को और अधिक व्यवस्थित करना।
- राज्य के पहाड़ी जिलों से हुए पलायन को रोककर रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना।
- किसानों हेतु आजीविका के अवसरों में विविधता लाना।
- अच्छी गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन करना।

मधुमक्खी पालन गतिविधि की रूपरेखा

- मधुमक्खी पालन गतिविधि के अन्तर्गत गढ़वाल व कुमाऊँ क्षेत्रों से दो चरणो में कुल 1000 लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन गतिविधि से जोड़ा जायेगा।

- प्रथम चरण में उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र से कुल 500 लाभार्थियों व द्वितीय चरण में कुमाऊँ क्षेत्र से कुल 500 अन्य लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन गतिविधि से जोड़ा जायेगा।
- प्रथम चरण व द्वितीय चरण हेतु चिन्हित क्षेत्रों और लक्षित लाभार्थियों की संख्या की सांकेतिक सूची निम्नानुसार है

चरण	क्षेत्र	जनपद	लक्ष्य
प्रथम चरण	गढ़वाल	देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी	500
द्वितीय चरण	कुमांऊ	बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौड़ागढ़, उधमसिंह नगर, नैनीताल, चम्पावत	500
		कुल	1000

मधुमक्खी पालन गतिविधि क्रियान्वयन योजना

- मधुमक्खी पालन गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु MOU के माध्यम से तकनीकी संस्था को नियुक्त किया गया है।
- आवंटित कार्य क्षेत्र के आधार पर तकनीकी संस्था के द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु इच्छुक लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।
- तकनीकी संस्था के द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु चयनित इच्छुक लाभार्थियों की सूचि जिला सहकारी विकास संघ (DCDF) व सम्बंधित MPACS व UKCDP को उपलब्ध किया जायेगा।
- ऋण सुविधा को प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को अपनी सहमति एवं आवश्यक दस्तावेजों को संबधित सहकारी समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।
- दीन दयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना की प्रक्रिया के आधार पर DCDF व सम्बंधित MPACS के द्वारा पात्र लाभार्थियों का चयन कर ऋण सीमा स्वीकृत किया जायेगा।
- दीन दयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना हेतु इच्छुक व योग्य लाभार्थियों को ऋण दिलवाने हेतु चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के एक सप्ताह के अंतर्गत दस्तावेजीकरण का कार्य सम्बंधित MPACS केद्वारा किया जायेगा।
- मधुमक्खी पालन हेतु इच्छुक किसान को दी जाने वाली मुख्य सेवाओं (जिनमे मुख्य रूप से प्रशिक्षण, मधुमक्खी पालन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना व मधुमक्खी पालन हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाना) के बदले उसके ऋण राशि में कटौती हेतु सम्बंधित MPACS व इच्छुक किसान के मध्य एक समझौता पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- समझौता के अनुसार किसान द्वारा चयनित सेवाओं के सापेक्ष ही किसानो से शुक्ल काटा जायेगा।
- मधुमक्खी पालन गतिविधि के सफल क्रियान्वयन हेतु सम्बंधित MPACS, DCDF व चयनित तकनीकी सस्था के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। जिसमे कि मधुमक्खी पालन गतिविधि हेतु तीनो पक्षों की भागेदारी तय की जाएगी।
- किसानों के आर्थिकी में अंकित दर के आधार पर तकनीकी सस्था के द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु चयनित इच्छुक लाभार्थियों को 15 से 20 किसानो के बैच में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- इस परियोजना में प्रत्येक किसान सेरिना इंडिका हेतु न्यूनतम 20 से 25 मौनगृह की व मेलीफेरा हेतु 30 से 35 मौनगृह की एक मौन पालन इकाई की स्थापना करेगा जिससे मधुमक्खी पालक व्यावसायिक रूप से मौन पालन व शहद उत्पादन का कार्य कर लाभ अर्जित कर सके।
- संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला और बाजारीकरण का कार्य DCDF के सहयोग से तकनीकी संस्था के माध्यम से किया जायेगा।
- किसानों को तकनीकी एजेंसी द्वारा चयनित सेवाएँ प्रदान करने के बाद, खर्चों के बिलों पर संबंधित MPACS, लाभार्थी और तकनीकी एजेंसी के संबंधित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- UKCDP व DCDF के विभागीय तंत्र के माध्यम से परियोजना का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।

भूमिका एवं जिम्मेदारियां

सहकारिता विभाग

- दीन दयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना के अंर्तगत प्रथम चरण में 500 व द्वितीय चरण में 500 कुल 1000 लक्षित लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण धनराशि का प्राविधान करना।
- विभागीय तंत्र के माध्यम से परियोजना का नियमित अनुश्रवण करना।

जिला सहकारी विकास संघ (DCDF)

- परियोजना का नियमित अनुश्रवण।
- मौनपालन गतिविधि हेतु चयनित तकनीकी सस्थाओ को प्रारंभिक रुप से कार्यो के संचालन हेतु कार्यशील पूंजी जो की ब्यवस्था करना।
- परियोजना क्रियान्वयन के संबध में किसानों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों व तकनीकी सस्थाओ के बीच समन्वय बनाये रखना।
- किसानों से प्राप्त बाजार दरों, उत्पादों की गुणवत्ता संबधी विशेषताओं, उत्पादों के सही समय पर संग्रह और मूल्य निर्धारण संबधी सूचनाओं को किसानों तक प्रचारित-प्रसारित करने में तकनीकी संस्थाओं को सहयोग करेगा।
- किसानों द्वारा बेची गई मौनपालन उत्पादों के एवज में तकनीकी संस्थाओं से प्राप्त भुगतान संबधी प्रणाली की पारदर्शिता की निगरानी और मूल्यांकन करेगा।
- मौनपालन उत्पादों की तकनीकी सस्थाओ द्वारा दी गई दरों की नजदीक के बाजार की दरों के साथ नियमित तुलना और निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- किसानों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों व तकनीकी संस्थाओं के साथ अगले तिमाही की खरीद योजना और पिछले तिमाही की खरीद की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन करेगा।
- किसानों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों व तकनीकी सस्थाओ के साथ विक्रय प्रक्रिया का संचालन करेगा, जिसमें मौनपालन उत्पादों के मूल्यों का मोल-भाव एवं उनके मूल्यों की बाजार से तुलना करना भी सम्मिलित होगा।

तकनीकी संस्था

- इच्छुक लाभार्थियों का चयन।
- इच्छुक लाभार्थियों को मधुमक्खी के बक्सों और मधुमक्खी कालोनी की सुविधा प्रदान करना।
- यदि आवश्यक हो तो मधुमक्खियों के परिवहन को सुगम बनाना।
- मधुमक्खी पालकों को शहद संग्रहण और खरीद की सुविधा प्रदान करना व तैयार शहद का उचित मूल्य पर बाजारीकरण सुनिश्चित कर लाभार्थियों को शहद का सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराना।
- उत्पाद की ब्रांडिंग और प्रचार सुनिश्चित करना।
- बेची गई उपज का लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।
- किसानों के स्तर पर डेटा एकत्रित कर DCDF व UKCD को साझा करना।
- परियोजना का नियमित अनुश्रवण।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियां

- इच्छुक लाभार्थियों का चयन।
- दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।
- चयनित लाभार्थियों से सहमति पत्र, पंजीकरण फॉर्म, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- मधुमक्खी पालन हेतु इच्छुक किसान को दी जाने वाली मुख्य सेवाओं (जिनमे मुख्य रूप से प्रशिक्षण, मधुमक्खी पालन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना व मधुमक्खी पालन हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाना) के बदले उसके ऋण राशि में कटौती हेतु इच्छुक किसान के मध्य एक समझौता पर हस्ताक्षर करना।
- MPACS सचिव के द्वारा किसानों को तकनीकी एजेंसी द्वारा चयनित सेवाएँ प्रदान करने के बाद, खर्चों के बिलों को भलीभांति जाँच कर अपने हस्ताक्षर करेगा।

चयनित किसान

- DDU योजना के माध्यम से ऋण लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज समय पर MPACS को जमा करना।
- DDU योजना के माध्यम से स्वीकृत ऋण की प्राप्ति व वापसी के बारे में सम्बंधित MPACS से पूर्ण जानकारी प्राप्त करना।
- DDU योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण का सही प्रयोग करना।
- तकनीकी सस्था द्वारा मधुमक्खी पालन के बारे में समय-समय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमो में प्रतिभाग करना।
- मौनगृहे का समय-समय पर रेख-देख करते रहना ।
- मधुमक्खी पालन के बारे में तकनीकी जानकारी हेतु चयनित तकनीकी संस्था से संपर्क बनाये रखना।
- DDU योजना के अंतर्गत MPACS से प्राप्त ऋण की समय पर वापसी करना।
- समय-समय पर शहद उत्पादन के बारे मे रिपोर्ट साझा करना।

मौनपालन योजना के अन्तर्गत चयनित स्थल हेतु मानक

- ऐसी जगह जहां लोग पहले से ही मधुमक्खी पालन कर रहे हों या जहां पर मौनपालन हेतु जलवायु और संसाधनों की उपलब्धता आसानी से हो।
- ऐसा क्लस्टर जहां कम से कम 20-25 लाभार्थी मौनपालन के इच्छुक हों।
- चयनित क्लस्टर पाली जाने वाली मधुमक्खी की प्रजातियों के अनुसार होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में एपिस सेरेना इंडिका और मैदानी या घाटी के क्षेत्रों में एपिस मेलिफेरा।

मौनपालन योजना के लाभार्थियों की पात्रता

- चयनित लाभार्थी सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिए। महिला लाभार्थियों को वरीयता दी जाऐगी।
- चयनित लाभार्थी किसी बैंक एवं सहकारी समिति का डिफाल्टर (जिसके द्वारा समय पर ऋण की अदायगी नहीं की गई हो) नहीं होना चाहिए।
- चयनित लाभार्थी दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना के अन्तर्गत अल्पावधि या मध्यम अवधि का ऋण लेने की पात्रता रखता हो।

- चयनित लाभार्थी के ऊपर अपनी सहकारी समिति का कोई ऋण अवशेष नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि लाभार्थी का पूर्व ऋण रिकार्ड सही है तो ऐसे लाभार्थी को इस योजना के अर्न्तगत भी ऋण दिया जा सकता है।
- चयनित लाभार्थियों के पास सभी आवश्यक केवाई.सी. दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।

मौनपालन हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली सुविधाएं

- मधुमक्खी पालन इकाई की स्थापना हेतु आवश्यक ऋण और अनुदान।
- लाभार्थियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- परियोजना के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन इकाईयों की स्थापना और गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- मौन पालको को उनके उत्पादों का सही एवं उचित बाजार मूल्य उपलब्ध करवाना ।
- सहकारिता विभाग की योजनाओं या किसी भी अन्य विभाग की योजना से अभिसरण सहायता प्राप्त करना, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी मधुमक्खी पालन गतिविधियों के लिए धन प्राप्त कर सकते हों।

अनुश्रवण योजना

क्रम संख्या	अनुश्रवण टीम	अनुश्रवण की आवृति	अनुश्रवण का तरीका	जिम्मेदारी
1	सचिव एम. पैक्स	सप्ताह में दो बार	फील्ड विजिट	सचिव एम. पैक्स
2	नोडल अधिकारी सहकारिता	सप्ताह में एक बार	फील्ड विजिट/एम.आई.एस. रिपोर्टिंग	नोडल अधिकारी
3	जि० सह० वि० संघ (DCDF)	माह में एक बार	फील्ड विजिट/एम.आई.एस. रिपोर्टिंग	सचिव DCDF

वित्तीय विवरण

मधुमक्खी पालन की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अर्जित लाभ को निम्नलिखित तरीके से विभाजित किया जाएगा।

मुख्य गतिविधि	MPACS	DCDF	तकनीकी संस्था
प्रशिक्षण	2%	8%	90%
शहद बाजारीकरण	—	10%	90%
मधुमक्खी इकाई स्थापना के लिए सुविधा शुल्क	Rs.100 per Farmer	Rs.500 per Farmer	

तकनीकी एजेंसी द्वारा DCDF और MPACS को सुविधा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

प्रति इकाई सेरिना इंडिका मधुमक्खी पालन की लागत (एक इकाई = 20 मौनगृह मौन वंश सहित)

प्रति मधुमक्खी पालक निवेश			(धनराशि रुपये में)	
मद	**निर्माण में उपयोग लायी जाने वाली सामग्री**	**संख्या**	**प्रति इकाई दर GST सहित**	**कुल कीमत**
मौनगृह (सुपर के साथ) की लागत परिवहन समेत	प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ी की मोटाई कम से कम 1.5 इंच (38.1.mm) हो व एक बक्से में कुल 8 लकड़ी के फ्रेम हो, सम्पूर्ण बी बॉक्स तूंण की लकड़ी का बना हो जिस पर बाहर से सिल्वर कलर का पैंट किया किया गया हो।	20	3000	60000
मौन वंश की लागत	कम से कम कुल मधुमक्खी के स्वस्थ 5 फ्रेमों के साथ	20	3000	60000
बी स्मोकर	स्टेनलैस स्टील	1	350	350
स्टैंड,	लोहा	20	150	3000
स्वार्म बैग	कॉटन	1	100	100
बी-वेल	कॉटन	1	150	150
बी फीडर	प्लास्टिक	8	100	800
बी क्वीन एक्सक्लूडर नेट	प्लास्टिक	2	120	240
फूड ग्रेड बकेट	फूड ग्रेड लास्टिक	1	160	160
वैक्स शीट	मोम	2kg	600	1200
शहद निकालने का चाकू	जंगरोधक स्टील	1	150	150
बी सूट	कॉटन जाली सहित	1	2000	2000
बी ब्रश	लास्टिक	1	50	50
क्वीन गेट	तूंण की लकड़ी	6	30	180
हाइव टूलस	स्टील	1	120	120
तकनीकी प्रशिक्षण	सीजनल	3	500	1500
कुल लागत				**130000**

एपिस सेरेना इंडिका मौन पालक हेतु अनुमानित लाभप्रदता

एपिस सेरेना इंडिका बी कीपर के लिए अनुमानित लाभप्रदता						
	(..... प्रत्येक उत्पादक हेतु .....)					
विवरण	**वर्ष**	**FY-1**	**FY-2**	**FY-3**	**FY-4**	**FY-5**
संभावित						
प्रति उत्पादक मौनगृह मौन वंश सहित की संख्या (वार्षिक 10: बी कालोनी में वृद्धि के साथ)		20	22	24.2	26.62	29.282
प्रति किसान प्रति सीजन प्रति बॉक्स उत्पादन(क्विंटल)		4	5	5	5	5
कुल सीजन		2	3	3	3	3
प्रति किसान कुल शहद का उत्पादन (क्विंटल)		160	330	363	199.3	439.23
औसत कीमत प्रति किलो (वार्षिक 10% प्रतिशत वृद्धि सहित)		320	352	387	425	470
औसत मोम उत्पादन (क्विंटल)-0.500 क्विंटल प्रति बॉक्स		5	5	5	5	5
औसत प्रति किलो मोम की कीमत		400	400	400	400	400
कुल उत्पादित कालोनी		10	10	10	10	10
औसत कालोनी दर (वार्षिक 10 प्रतिशत वृद्धि सहित)		1000	1100	1210	1331	1464.1
खाली बी-बॉक्स की कीमत परिवहन सहित साइज. 1.5" *14"* 11"*9"		3000				
मधुमक्खी के बॉक्स की जीवन अवधि		6 years				
सर्दियों के प्रबंधन हेतु प्रति बॉक्स खर्च	रू. प्रति साल	150				
विविध खर्चे प्रति बॉक्स		50				
आय						
शहद की बिक्री से		51200	116160	140481	169703	206438
मोम की बिक्री से		2000	2000	2000	2000	2000
बी-कालोनी की बिक्री से		10000	11000	12100	13310	14641
कुल आय		**63200**	**129160**	**154581**	**185013**	**223079**
आवर्ती व्यय						
शीत कालीन प्रबंधन और मधुमक्खियों के कृत्रिम भोजन हेतु चीनी पर होने वाला खर्च @100 per box		2000	2200	2420	2662	2928.2
विविध @50 per box		1000	1100	1210	1331	1464.1
कुल खर्च		**3000**	**3300**	**3630**	**3993**	**4392.3**
परियोजना संचालन से शुद्ध नगदी प्रवाह		**60200**	**125860**	**150951**	**181020**	**218687**
कुल आवश्यक निवेश प्रति मौनपालक	**130000**					
DDY के तहत प्रति मधुमक्खीपालक औसत ऋण	**130000**					
ब्याज दर	**0%**					
मूलधन का भुगतान		0	43333	43333	43333	0
कुल भुगतान		0	43333	43333	43333	0
शुद्ध लाभ (वार्षिक)		**60200**	**82527**	**107618**	**137686**	**218687**
मधुमक्खी पालक की मासिक आय (रू. में)		**5017**	**6877**	**8968**	**11474**	**18224**

नोट- एपिस सेरेना इंडिका मधुमक्खी पालन गतिविधियों से प्रत्येक मधुमक्खी पालक की औसत मासिक आय प्रथम वर्ष में रू. 5000 से 6000 तक होगी।

प्रति इकाई एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी पालन की लागत (एक इकाई = 30 मौनगृह मौन वंश सहित)

प्रति मधुमक्खी पालक निवेश			(धनराशि रुपये में)	
मद	**निर्माण में उपयोग लायी जाने वाली सामग्री**	**संख्या**	**प्रति इकाई दर GST सहित**	**कुल कीमत**
मौन वंश सहित मौनगृह लागत परिवहन ब्यय सहित (बी कालोनी सुपर व कुल 8 भरे फ्रेमों के साथ)	प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ी की मोटाई कम से कम 1.5 इंच (38.1.mm) हो व एक बक्से में कुल 8 लकड़ी के फ्रेम हो, सम्पूर्ण बी बॉक्स तूंण की लकड़ी का बना हो जिस पर बाहर से सिल्वर कलर का पैंट किया किया गया हो।	30	4500	135000
बी स्मोकर	स्टेनलैस स्टील	1	350	350
स्टैंड	लोहे का जिस पर सिल्वर कलर का पैंट किया किया गया हो।	30	150	4500
स्वार्म बैग	कॉटन	1	100	100
बी-वेल	कॉटन	1	150	150
बी फीडर	प्लास्टिक	25	100	2500
बी क्वीन एक्सक्लूडर नेट	प्लास्टिक	25	120	3000
फूड ग्रेड बकेट	फूड ग्रेड लास्टिक	3	160	480
वैक्स शीट	मोम	4kg	600	2400
शहद निकालने का चाकू	जंगरोधक स्टील	1	150	150
बी सूट	कॉटन जाली सहित	1	2000	2000
बी ब्रश	लास्टिक	1	50	50
क्वीन गेट	तूंण की लकड़ी	24	45	1080
हाइव टूलस	स्टील	2	120	240
टैंट		1	3000	3000
तकनीकी प्रशिक्षण	सीजनल	1	5000	5000
	कुल लागत			**160000**

एपिस मेलिफेरा मौन पालक हेतु अनुमानित लाभप्रदता

एपिस मेलिफेरा बी कीपर के लिए अनुमानित लाभप्रदता						
	(..... प्रत्येक उत्पादक हेतु .....)					
विवरण	**वर्ष**	**FY-1**	**FY-2**	**FY-3**	**FY-4**	**FY-5**
संभावित						
प्रति उत्पादक बक्सों की संख्या (वार्षिक 20% बी कालोनी में वृद्धि के साथ)		30	36	43	52	62
प्रति किसान प्रति मौसम प्रति बॉक्स उत्पादन(क्विंटल)		10	10	10	10	10
कुल सीजन		3	3	3	3	3
प्रति किसान कुल शहद का उत्पादन (क्विंटल)		900	1080	1296	1555	1866
औसत कीमत प्रति किलो (वार्षिक 10% प्रतिशत वृद्धि सहित)		150	165	182	200	220
औसत मोम उत्पादन (क्विंटल)-0.500 क्विंटल प्रति बॉक्स		20	20	20	20	20
औसत प्रति किलो मोम की कीमत		400	400	400	400	400
कुल उत्पादित कालोनी		10	10	10	10	10
औसत कालोनी दर (वार्षिक 10 प्रतिशत वृद्धि सहित)		1000	1100	1210	1331	1464
खाली बी-बॉक्स की कीमत परिवहन सहित साइज. 1.5" *14"* 11"*9"		4500				
मधुमक्खी के बॉक्स की जीवन अवधि		6 years				
सर्दियों के प्रबंधन हेतु प्रति बॉक्स खर्च	रू. प्रति साल	250				
विविध खर्चे प्रति बॉक्स		100				
आय						
शहद की बिक्री से		135000	178200	235224	310496	409854
मोम की बिक्री से		8000	8000	8000	8000	8000
बी-कालोनी की बिक्री से		10000	11000	12100	13310	14641
कुल आय		**288000**	**375400**	**490548**	**642301**	**842350**
आवर्ती व्यय						
शीत कालीन प्रबंधन और मधुमक्खियों के कृत्रिम भोजन हेतु चीनी पर होने वाला खर्च @100 per box		3000	3600	43200	5184	6221
परिवहन खर्च (1000 per colony per year)		30000	3600	43200	51840	62208
विविध @50 per box		1500	1800	2160	2592	3110
आवर्ती व्यय						
अचल संपतियों पर मूल्य ह्रास @10%		16000	16000	16000	16000	16000
दैनिक श्रमिक आवश्यक्तानुसार @3000 per year		3000	3000	3000	3000	3000
कुल खर्च		**53500**	**60400**	**68680**	**78616**	**90539**
परियोजना संचालन से शुद्ध नगदी प्रवाह		**99500**	**136800**	**186644**	**253190**	**341956.1**
कुल आवश्यक निवेश प्रति मौनपालक	**160000**					
DDY के तहत प्रति मधुमक्खीपालक औसत ऋण	**160000**					
ब्याज दर	**0%**					
मूलधन का भुगतान		0	53333	53333	53333	0
कुल भुगतान		0	53333	53333	53333	0
शुद्ध लाभ (वार्षिक)		**99500**	**83467**	**133311**	**199856**	**341956**
मधुमक्खी पालक की मासिक आय (रू. में)		**8292**	**6956**	**11109**	**16655**	**28496**

नोट- एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी पालन गतिविधियों से प्रत्येक मधुमक्खी पालक की औसत मासिक आय प्रथम वर्ष में रू. 8000 से 10000 तक होगी।